

तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

सं. 2 व 3 फावली दिनांक 21-12-2020 को पेश हो।

21/12/2020

पत्रावली पेश हुई। वृत्तकाय उभय पक्ष उपर। प्रतिवादी सं० 3 व 4 की तामील पूर्व में सम्मिलित रूप से होकर लौंटी हैं, बावजूद सम्मिलित तामील उक्त प्रतिवादी गण की ओर से कोई हाजिर अदालत नही आया है। अतः प्रतिवादी सं० 3 व 4 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वृत्तकाय उभय पक्ष के मुताबित राजीनामा दावा डिमी करअया जाने का निवेदन किया।

पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड एवं पेशशुदा राजीनामा का अव-ओडन किया। मुंठि विवादित पक्षठारान Mutual Consent से अपनी भूमि का उगापस में न्यायालय हाजा से निरुत्तरण चाहते हैं जिस बाबत विवादित पक्ष-चाहते हैं जिस बाबत विवादित पक्ष-कारान ने राजीनामा पेश कर तरुदीड भी करवाया है। अतः बाद, वादी मुताबित राजीनामा डिमी किया जाता है राजीनामा डिमी का भाग रहेगा। मुताबित राजीनामा व राजीनामा के संलग्न नक्षी नक्शा राजस्व रिकार्ड में अमल-कराया हो। पत्रावली केवल शुद्ध होकर नम्बर से उम ही नया बाद तठमील पाजिल फफर हो। यह निर्णय आज दिनांक 21-12-2020 को मेरे द्वारा जूले न्यायालय में सुनाया गया।



(राजेश कुमार)
उपरखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अदालत
अण्डाल (सीकर)
अण्डाल (सीकर)